


फर्द अहकाम
नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

अंकित बनाम हनुमान आदि

किस्म मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर :- 95/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामिल जारी हुआ
3.09.2025	<p>आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थीगण से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 विवादित रकबा चक 3 एस.डी.आर. के खाता संख्या 108/85 में कुल 4.333 हैक्टर आराजी में अप्रार्थी के नाम 1994/4333 हिस्सा एवं इसी चक के खाता संख्या 109/85 की कुल 0.494 हैक्टर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 रहन, बैय या अन्य किसी तरीके से अन्तरित न करें व मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी तामिल हेतु 7 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र ऐतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.10.2025 को पेश हो।</p> <p>वकील प्रार्थी उपरिपत्र 1 अशर्त संख्या 2 व 3 की भेज से ही बिजेट केनेषल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय प्रवाव पेश किया गकल डिपार्ट 31-0-1994 गमा। पत्रावली वाले तलबी शीष अशर्तगण दिनांक 8.10.25 को पेश है।</p> <p>वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली मल आदेशानुसार वास्ते... लकडी दिनांक 17.10/25 को पेश हो।</p> <p>वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली मल आदेशानुसार वास्ते... लकडी दिनांक 28.10/25 को पेश हो।</p>	

17/10/25

8-10-25

17/10/25

हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुवम की तामील जारी हुआ
------	---------------------------------	--

27/26

वकील इम्रथपक्ष उपस्थित। जल
 पेशी पर सुनी गई बयान पर
 मन्त्र विषय- जाकर पगावली
 का अचलौकन किया गया बाद
 अचलौकन पाया कि जार्धना पर
 जर्दी बन्धीकार योग्य नहीं बने
 जौन पर वर्तमान स्वर पर
 ववारीज किया जाता है।
 पगावली नम्बर से कम का
 जाकर बाद तकमील दारीपत्र
 दफ्तर है।

(Bhagirath Ram)
 उपसपडाधिकारी (राजस्व)
 भादरा (जिला-इनुमानगब)